मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 22 अगस्त, 1995 (श्रावण 31, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री दिग्विजय सिंह, मुख्यमंत्री, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंधाना (जिला खण्डवा) जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 29 जनवरी, 1990 द्वारा श्री डी.के.जैन, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा (पूर्व निमाड़) शासन के संकल्प सहित पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री (कृषि), इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 1992-93 (अनुभाग-1) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार :-

(क) विनियोग लेखे वर्ष 1993-94

(ख) वित्त लेखे वर्ष 1993-94

(ग) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष का क्रमांक 2 (सिविल)

(घ) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष का क्रमांक 4 (राजस्व प्राप्तियां)

(ङ) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1994 को समाप्त वर्ष का क्रमांक 5 (वाणिज्यिक),

पटल पर रखेंगे.

(4) श्री बी.आर.यादव, वन मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री मुकेश नायक, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार :-

(क) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94;

(ख) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का अंकेक्षण प्रतिवेदन (भाग-1) अंकेक्षण वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 तथा वार्षिक लेखा वर्ष 1992-93 एवं 1993-94,

पटल पर रखेंगे.

(6) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619 - क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित का 23 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1988-89 वर्ष समाप्ति दिनांक 31 मार्च, 1989 के लिए पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री रघुनंदन शर्मा, बच्चन नायक, शंकर मुंजारे, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम नन्दपुरा में एक ही परिवार के छः व्यक्तियों की हत्या होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मुनीराम साहू, सदस्य, बिलासपुर जिले के पंडरिया थाने में पुलिस की मारपीट से एक पटवारी की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. मुख्यमंत्री का वक्तव्य

श्री दिग्विजय सिंह, मुख्यमंत्री, दिनांक 10 अप्रैल, 1995 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्रमांक 6031) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

5. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनिट — प्रदेश की नौ कपड़ा मिलों एवं पच्चीस से अधिक छोटे-मध्यम उद्योगों के बंद हो जाने से लाखों लोगों के सामने भुखमरी की समस्या के संबंध में श्री बच्चन नायक तथा श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

6. प्रतिवेदन पर चर्चा

2 घंटे — मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 पर चर्चा.

भोपालः
दिनांकः 21 अगस्त, 1995

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.